रजिस्ट्री सं. डी. एल.–33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 16] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 12, 2016/पौष 22, 1937
No. 16] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 12, 2016/ PAUSA 22 , 1937

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2016

फा. सं. पीएनजीआरबी/एम(सी)/110.—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम 2006 (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड एतद् द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत: :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभण:—**

(1) इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन शुल्क का निर्धारण) संशोधन विनियम, 2016 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन शुल्क का निर्धारण) विनियम, 2008, में,-

(क) अनुसूची क में,-

(i) खण्ड 5 के उप-खण्ड (7) का लोप हो जाएगा।

(ii) खण्ड 6 के उप-खण्ड (1) में निम्नलिखित से प्रतिस्थापित होगा, नामत :—

"(1) परियोजना की मितव्ययी कालावधि पर यूनिट प्राकृतिक गैस पाइपलाइन शुल्क के निर्धारण में गुणक के रुप में मानी गई प्राकृतिक गैस की मात्रा का निर्धारण मानकीय अथवा वास्तविक आधार पर इनमें से जो भी उच्चतर होगा। मात्रा के मानकीय आधार की गणना जैसी कि नीचे इंगित की गई है :—

(क) प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के प्रचालन के प्रथम पांच वर्षों के प्रत्येक वर्ष के लिए गुणक कंपनी की क्षमता आवश्यकता तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद तथा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन क्षमता का निर्धारण) विनियम, 2010 के तहत घोषित पचहत्तर प्रतिशत क्षमता को नीचे दिए गए आधार पर उस वर्ष के लिए लागू प्रतिशत उपयोग से गुणा करके निकाला जाएगा:—

प्राकृतिक गैस पाइपलाइन प्रचालन वर्ष	**प्रतिशत उपयोग**
पहला	60%
दूसरा	70%
तीसरा	80%
चौथा	90%
पांचवां	100%

(ख) जैसा कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद तथा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन क्षमता का निर्धारण) विनियम, 2010 के तहत घोषित छठे वर्ष के लिए भाजक और प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के प्रचालन के बाद के वर्षों के लिए पुष्टि अनुबंध क्षमता के बराबर और बुक किए गए सामान्य वाहक क्षमता या पचहत्तर प्रतिशत जो भी अधिक हो होगा।

(ग) यदि, क्षमता निर्धारण विनियमों के अनुसार क्षमता घोषित नहीं की गई है, प्राधिकार में उल्लेखित क्षमता अथवा बोर्ड द्वारा जारी स्वीकारोक्ति पत्र में उल्लेखित, क्षमता टैरिफ निर्धारण के लिए प्रयोग किया जाएगा तथा बाद में जब (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद तथा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन क्षमता का निर्धारण) विनियम, 2010 के अनुसार क्षमता उपलब्ध होगी, आगामी टैरिफ समीक्षा के समय क्षमता निर्धारण विनियमों के अनुसार घोषित क्षमता से यह क्षमता प्रतिस्थापित होगी।

(घ) 01.04.2015 से 31.03.2020 के दौरान गैस पाइपलाइन के संबंध में यदि, कोई स्रोत जुड़ता है, तो पाइपलाइन की डिजाइन क्षमता में किसी प्रकार की वृध्दि होने पर 01.04.2015 से 31.03.2020 तक की अवधि के लिए उक्त नवीन स्रोत का टैरिफ निर्धारण में विचार नही किया जाएगा।";

(iii) खण्ड 9 के उप-खण्ड (4) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित होगा, नामत :—

(4) "अनंतिम प्रारम्भिक इकाई प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ और अंतिम प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ में भिन्नता के कारण का समायोजन डीसीएफ गणना में बनाना होगा और व्यूत्पन टैरिफ अगली समीक्षा तक भावी आधार पर ग्राहकों से वसूला जाएगा, इस मामले में यदि, टैरिफ आदेश 30 सितम्बर से पूर्व जारी किया जाता है तो टैरिफ उस वित्तीय वर्ष जिस में कि टैरिफ आदेश जारी हुआ है की 1 अप्रैल से लागू होगा अन्यथा आगामी वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल से लागू होगा।";

अनुसूची क के संलग्नक 2 के खण्ड 4 का लोप हो जाएगा।

उपमन्यु चटर्जी, सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./316]

पाद टिप्पणी : मुख्य विनियम सा.का.नि. 807(अ) दिनांक 20/11/2008 के माध्यम से अधिसूचित हुए थे और सा.का.नि. 986 (अ.) दिनांक 20/12/2010, फा.सं. पीएनजीआरबी/एम(सी) /11/फाईनल टैरिफ फाईलिंग दिनांक 30/05/2012, फा. सं. पीएस/एसइसीवाई एम (सी) / 2012 दिनांक 13/09/2012, फा. सं. पीएनजीआरबी/एम(सी)/48 दिनांक 17/02/2014 फा. सं. पीएनजीआरबी/एम(सी)/100 दिनांक 27/02/2014, तथा फा.सं.एल-मिस/VI / I/ 2007 दिनांक 1/01/2015 के माध्यम से संशोधित किए गए।

PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th January 2016

F. No. PNGRB/M(C)/110.—In exercise of the powers conferred by section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations, namely:—

1. **Short title and commencement.**

(i) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Natural Gas Pipeline Tariff) Amendment Regulations, 2016.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Natural Gas Pipeline Tariff) Regulations, 2008,—

(a) in Schedule A,—

(i) sub-clause (7) of clause 5 shall be omitted;

(ii) for sub-clause (1) of clause 6, the following shall be substituted, namely:-

"(1)" The volumes of natural gas to be considered as divisor in the determination of the unit natural gas pipeline tariff over the economic life of the project shall be computed on a normative or actual basis, whichever is higher. Volume on normative basis shall be calculated as indicated below:-

(a) The divisor for each of the first five years of operations of the natural gas pipeline shall be arrived by multiplying the applicable percentage utilization for the year, as per the basis indicated below, with seventy five per cent of the capacity of natural gas pipeline as declared under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determining Capacity of Petroleum, Petroleum Products and Natural Gas Pipeline) Regulations, 2010:-

Year of natural gas pipeline operations	Percentage utilization
First	60%
Second	70%
Third	80%
Fourth	90%
Fifth	100%

(b) The divisor for the sixth and the subsequent years of operation of the natural gas pipeline shall be equal to the firmed up contract capacity and booked common carrier capacity or seventy five per cent. of the capacity of natural gas pipeline as declared under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determining Capacity of Petroleum, Petroleum Products and Natural Gas Pipeline) Regulations, 2010, whichever is higher.

(c) In case, capacity has not been declared as per capacity determination regulations, capacity as mentioned in the authorization or acceptance letter issued by the Board shall be used for tariff determination and subsequently when the capacity as per Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determining Capacity of Petroleum, Petroleum Products and Natural Gas Pipeline) Regulations, 2010 is available, this capacity shall be replaced with the capacity declared as per capacity determination regulations at the time of next tariff review.

(d) In case of addition of any new source to a natural gas pipeline that comes during 01.04.2015 to 31.03.2020, any increase in the design capacity of the pipeline because of this new source shall not be considered in the tariff determination for a period from 01.04.2015 to 31.03.2020." ;

(iii) for sub-clause (4) of clause 9, the following shall be substituted, namely:-

"(4) Adjustment on account of variation in the provisional initial unit natural gas pipeline tariff and final initial unit natural gas pipeline tariff shall be made in the DCF calculations and the derived tariff shall be charged from the customers on prospective basis till next review, that is, in case tariff order is issued before 30th September, tariff shall be applicable from 1st April of the financial year in which Tariff Order is issued, otherwise tariff shall be applicable from 1st April of the next financial year.";

(b) clause (4) of Attachment 2 to Schedule A shall be omitted.

UPAMANYU CHATTERJEE, Secy.

[ADVT- III/4/Exty./316]

Foot Note : Principal regulations were notified vide G.S.R. 807(E) dated 20/11/2008 and amended vide G.S.R. 986(E) dated 20/12/2010, F.No.PNGRB/M(C)/11/Final Tariff Filing dated 30/05/2012, F.No.PS/Secy./M(C)/2012 dated 13/09/2012, F.No.PNGRB/M(C)/48 dated 17/02/2014, F.No.PNGRB/M (C)/100 dated 27/02/2014 and F.No. L-MISC/VI/I/2007 dated 01.01.2015.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.